न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट, गोण्डा।

परिवाद संख्या–22/2024

CNR No.-UPGD01004067-2023

श्रीमती श्यामलली बनाम उमेशचन्द चौबे आदि

दिनांक–19.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादिनी पूर्व नियत तिथियों से उपस्थित नहीं आ रही है। पत्रावली का परिशीलन करने से प्रकट होता है कि पत्रावली दिनांक–02.12.2024 से साक्ष्य अन्तर्गत धारा–202 दं०प्र०सं० में नियत होकर चल रही है, परन्तु परिवादिनी द्वारा विगत कई तिथियों से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि परिवादिनी को कई अवसर प्रदान किया जा चुका है। विगत तिथि पर अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी दिनांक–31.05.2025 से लगातार अनुपस्थित चल रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को उक्त परिवाद चलाये जाने में कोई रूचि नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रस्तुत परिवाद में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः उपरोक्त परिवाद वाद धारा–203 दं०प्र०सं० के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद संख्या–22/2024, धारा–203 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(आलोक शर्मा)

दिनांक–19.06.2026

विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट,
गोण्डा।
JO Code-UP1751

Digitally signed by Alok Sharma
Date: 2026.06.19 17:19:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court